

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

85.
25/5/72 ✓

सं० 163] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 22, 1972/चैत्र 2, 1894

No. 163] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 22, 1972/CHAITRA 2, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 22nd March 1972

S.O. 226(E)15/IDRA/71.—In partial modification of the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Development of Industrial Development) Order No. 24(E)/15/IDRA/71, dated the 7th January, 1972, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II., Section 3. Sub-Section (ii), the Central Government hereby appoints Dr. O. S. Krishnamoorthy, Deputy Director Office of the Textile Commissioner, Bombay, vice M. Madurainayagam, as Member-Secretary of the body of persons appointed to make investigation into the affairs of Mahaboob Shahi Kulbarga Mills Co. Ltd., Gulbarga (Mysore).

[No. F. 9(39)/Lic.Pol./71.]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1972

क्रा० प्रा० 226(ख)/15/आई.डी.आर.ए./71—औद्योगिक विकास तथा आंतराष्ट्र व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० 24(ड) 15/आई०डी०आर०ए०/71 दिनांक 7 जनवरी, 1972, जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (II) में प्रकाशित हुआ था, के आंशिक संशोधन में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एम० मधुरैनयागम के स्थान पर डा० ओ० ए०० कृष्णमूर्ति, उ०-निदेशक, वस्त्र आकस्मृत का कार्यालय, बम्बई, को महबूब शाही कुलबर्गी मिल्स क० लि०, गुनवर्गी (मैसूर) क कर्मी की जाच करत के लिए नियुक्त व्यक्तियों के निक्काय के सदस्य-सचिव के रूप में नियुक्त करती है ।

[फा० सं० 9(39)/आई०पोल०/71]

एम के महगल, संयुक्त सचिव ।